22/8/22 सुनवाई पेश हुई। अभियुक्त
अधिवक्ता द्वारा अपील
वादी द्वारा प्रा0प0 नाम जोड़ने
बाबत दिनांक
22/07/2012 से अवमानना दिया
गया है, दिनांक 18/4/13
को भी प्रा0प0 बाबत आदेश
नोटिस दिया जा चुका है।
पीठासीन अधि0 वादी द्वारा
पीठासीन अधि0 के उपस्थित भी
लम्बा समय के उपरान्त भी
प्रा0प0 नाम जोड़ने बाबत प्रा0प0
सुनवाई पर पेश नहीं किया
गया है जैसी स्थिति में अधि0
वादी प्रा0प0 पेश करने में असमर्थ
रहे हैं। अधि0 वादी का वाद
अन्तर्गत धारा 188 DTA
1955 [illegible] में सम्बन्धित
विषय [illegible]
निर्णीत हुआ [illegible]
आवश्यक कार्यवाही अग्रेतर [illegible] में हुआ
बाद। नियम युक्त [illegible]
आदेश निस्तारण [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:50:05 IST
Reason: SelfAttested

(नीता बसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रामगढ़